न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. आनन्दीराम पुत्र बंशीदास आयु 81 वर्ष निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम —प्रार्थी

1. मोहनलाल पुत्र श्री बंशीदास बैरागी आयु 80 वर्ष निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम

1/1 सोसर देवी पत्नी श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 75 वर्ष निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/2 राधेश्याम पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 56 वर्ष निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/3 भैरूलाल पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 50 वर्ष निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) .

1/4 लालाराम पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 47 वर्ष निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/5 रूपलाल पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 45 वर्ष निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/6 भारत पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु 40 वर्ष निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/7 ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहन लाल बैरागी, आयु वयस्क, निवासी—दरीबा तहसीन एवं जिला भीलवाडा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम—

1/7/1 माया पत्नी श्री ओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष, निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/7/2 राहुल पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 20 वर्ष, निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

1/7/3राधा पुत्री श्री ओमप्रकाश उम्र 18 वर्ष, निवासी—दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

<u>वादपत्र बाबत खातेदार घोषित कराये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा—88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित अधिवक्तागण—

1. श्री भैरू लाल वैष्णव— प्रार्थी
2. श्री अम्बालाल जी कुमावत— अप्रार्थी

25/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 25/9/25

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरू लाल वैष्णव द्वारा दिनांक 08.10.2021 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 31/2021 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक वादपत्र बाबत खातेदार घोषित कराये जाने बाबत न्यायालय श्रीमान के यहां प्रस्तुत किया है, जो जैर कार्यवाही होकर प्रकरण संख्या 57/2019 राजस्व वाद बअनवान आनन्दीराम बनाम मोहनलाल दर्ज होकर दिनांक 08/10/2021 को सुनवाई हेतु पेशी नियत हैं एवं उक्त वादपत्र ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्यमेव स्वीकार होगा।

वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित वादपत्र दिनांक 15/07/2014 को पेश किया गया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया जो प्रकरण संख्या 51/2014 दर्ज होकर जैर कार्यवाही रहा, परन्तु दिनांक 14/07/2017 को केम्प दरीबा मे बिना वादी को सुने एवं बिना प्रतिवादी से जवाब तलब करे खारिज फरमा दिया गया। जिसके साथ उक्त प्रार्थनापत्र भी खारिज फरमा दिया गया जो गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा वादपत्र की अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत की जहां से प्रार्थनापत्र पुनः रिमाण्ड होकर आया एवं दौराने कार्यवाही विपक्षी मोहन लाल फौत हो जाने से उसके वारिसान को मूल वाद में पक्षकार के रूप मे समायोजित किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा प्रकरण सदर मे मृतक मोहन लाल के कायम मुकाम को बतौर पक्षकार कायम कर यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा हैं।

प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 86, 87 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज.) की सरहद में स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 67, 67 मी. कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का 50 वर्षो से यानि संवत 2021 से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उपयोग – उपभोग मे चली आ रही है। जो आमजन की जानकारी में है तथा वर्तमान मे उक्त आराजी विपक्षी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसकी जानकारी में प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का साबिक आराजी संवत् 2021 से पूर्व से शांति पूर्वक बिना रोक टोक के उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी उक्त आराजी का एडवर्स पजेशन से खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

प्रार्थी की बिना जानकारी के विपक्षी संख्या 01 उपरोक्त आराजी को अपने नाम अन्य आराजी के साथ आवंटन करवा लिया, जो कुल 10 बीघा आवंटन किया गया। जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा कार्यवाही आंवटन निरस्त करवाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से कहा जिस पर विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी को शान्ति पूर्वक बिना रोक टोक के कुल आवंटित आराजी संख्या 85 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 86 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 87 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 96 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा में से प्रार्थी की कब्जेशुदा आराजी नम्बर 86 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व आराजी नम्बर 87 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा पर उपयोग व उपभोग करने की सहमति दी गयी तथा बतौर सबूत राव की पौथी में भी दाखिला आवंटन का लगवाया तथा विपक्षी के आंवटन के बाद भी प्रार्थी का कब्जा काश्त विपक्षी की जानकारी व आमजन की जानकारी में शांति पूर्वक बिना रोक टोक के आज दिन तक चला आ रहा है, जो करीबन 50 वर्ष से पूर्व से चला आ रहा है, जो 12 वर्ष से अत्यधिक होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। जिस हेतु विपक्षीगण से निवेदन किया, जो सहमत नही होने से यह वादपत्र बाबत खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने हेतु पेश किया है।

25/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी पर संवत 2021 से पूर्व से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 1 की जानकारी मे विवादित आराजी का उपयोग उपभोग प्रार्थी करीबन 40 वर्ष से करता चला आ रहा है, जो खातेदार काश्तकार हो गये है परन्तु रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने से व कीमते बढ़ जाने से प्रतिवादी संख्या 01 के मन मे फितुर पैदा हो जाने से वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा दिनांक 14 सितम्बर 2021 को प्रार्थी को कब्जा छुड़वाने की धमकी दी, प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर अन्य को विक्रय कर सकते है, जो कभी भी अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा हैं तथा प्रयासरत हैं जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिससे यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण के पेश है।

वादी /प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी /वादी के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द बुर्द कर देगे तो वादी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनेका अनेक विवाद पैदा हो जायेगे। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी / प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी ग्राम दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 86 व 87 रकबा क्रमश 03 बीघा 02 बिस्वा व 01 बीघा 19 बिस्वा कुल 05 बीघा 01 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और न हीं किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय, हस्तांतरण संबधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 02 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नहीं करें, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रकरण में विपक्षीगण अधिवक्ता की ओर से मूलवाद में 'वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 25.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने न्यायालय में पेश होने का तथ्य स्वीकार है लेकिन प्रार्थी द्वारा यह वाद आधारहीन तथ्यो पर अकिंत किया है जिसमें सफलता की कोई गुंजाईश नही हैं। वादी का वाद निराधार तथ्यो पर पेश हुआ है जो अवश्य ही खारीज होगा।

वादग्रस्त आराजी जवाबदाता विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व व कब्जे की है जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त पैरा में अपना कब्जा काश्त होना गलत अकिंत किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि जवाबदाता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर उक्त आराजी का आवंटन हुआ है कब्जा दिया गया है जिस पर जवाबदाता विपक्षीगण काबिज है।

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कुलिया तथ्य सही अकित किये है साबिक आराजी नम्बर 67, 67 मी है।

प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 4 में वर्णित कुलिया तथ्य गलत होने से जवाबदाता विपक्षीगण को स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने उक्त पैरा में अपना कब्जा 50 वर्षो से यानी 2021 से पूर्व होना व काश्त और उपयोग उपभोग का तथ्य पूर्णरूप से बनावटी और निराधार अकिंत किया है। यह बात सही है कि वाद पत्र कि चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कुलिया आराजी जवाबदाता के कब्जे एवं काश्त में है प्रार्थी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा है न है ऐसी सूरत में प्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई एडवर्स पजेशन नही है और न ही प्रार्थी अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

25/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र के पैरा न. 5 में वर्णित कुलिया तथ्य गलत होने से जवाबदाता विपक्षी संख्या 1 को स्वीकार नही है उक्त पैरे में प्रार्थी ने बनावटी एवं मनगढत तथ्य अंकित किये है न तो जवाबदाता ने उक्त आराजी को गलत तौर पर आवंटन करवायी है और न ही किसी प्रकार कि सहमति प्रार्थी को जवाबदाता की ओर से दी गई है और न ही राव की पौथी राजस्व रिकार्ड का हिस्सा है बल्कि प्रार्थी ने अपना कब्जा 50 वर्षों से होना गलत अंकित किया है। प्रार्थी ने जानबूझ कर जवाबदाता को परेशान करने कि नियत से यह वाद पत्र कपोल कल्पित आधारो पर प्रस्तुत किया है। जिसे प्रार्थी को किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार उत्पन नही होते है। इस कारण से प्रार्थी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जाना न्यायहीत में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के पैरा न. 6 में वर्णित कुलिया तथ्य गलत होने से जवाबदाता विपक्षीगण को स्वीकार नही है उक्त पैरे में यह तथ्य सवर्था गलत अंकित किया कि प्रार्थी का सम्वत 2021 से पूर्व कब्जा चला आ रहा हो यह भी गलत तौर पर अंकित किया कि प्रार्थी का 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हो प्रार्थी ने यह भी गलत अंकित किया कि कीमतें बढ़ जाने से जवाबदाता के मन में फितुर पैदा हो गये हो और प्रार्थी ने यह तथ्य भी गलत अंकित किया कि दिनांक 01.07.2014 को कब्जा छोड़ देने बेदखल करने विक्रय करने के सम्बंध में जवाबदाता से प्रार्थी की कोई बातचीत हुई हो बल्कि जवाबदाता पिछले 3–4 वर्षों से बीमार होकर लकवे में है एवं इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी ने विपक्षी पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक उक्त दिनांक को उत्पन नही हुआ।

प्रार्थना पत्र के पैरा न. 7 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। एवं प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करे क्योकि प्रार्थी खातेदार नही होने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करे।। लेकिन सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की तुलना विपक्षी को अत्यधिक होगी।

प्रार्थी ने झुठा शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में विपक्षी संख्या 1 का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 के जवाब को रिकार्ड पर लिया जावे। और प्रार्थी का 212 का प्रार्थना पत्र को सव्यय खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश, आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र, सिपूर्दगीनामा एवं सनद की प्रति पेश की गई। उभयपक्षकारन् अधिवक्ता की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला

2. सुविधा का संतुलन

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी संख्या 86, 87 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 67 व 67मी कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर सम्वत् 2021 से प्रार्थी का कब्जा काश्त है और विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम दरीबा की आराजी संख्या 85, 86, 87, 96 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी की सहमति उपरान्त विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित हुई थी। प्रार्थी का कब्जा लगभग 50 वर्ष से निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 86 व 87 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि हेतु पड़ौसी खातेदार लादूलाल पिता गुलाब विश्नोई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित होता है कि ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी संख्या 86 व 87 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी नहीं करने एवं ग्राम दरीबा की आराजी संख्या 86, 87 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि का अन्यत्र अंतरण/बेचान/रहन/बक्षीश नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

25/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी संख्या 85, 86, 87 व 96 कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होकर स्वामित्व व कब्जे की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी संख्या 86 व 87 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर गत 50 वर्षों से स्वयं का कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा लादूलाल पिता गुलाब विश्नोई का शपथ पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिवीटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के राव/भट्ट की पोथी की प्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त भूमि प्रार्थी आनन्दी राम व अप्रार्थी मोहनदास को संयुक्त रूप से आवंटित होने का कथन है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि में सम्वत् 2021 से निरन्तर स्वयं का कब्जा काश्त होने से स्वयं के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है परन्तु अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1979 से आवंटी होकर वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। विपक्षी आवंटी के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

3. अपूरणीय क्षति :–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2021 में प्रार्थी का कब्जा–काश्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी की सहमति से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा राव की पौथी दिनांक 03.07.2014 पेश की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 का कब्जा–काश्त है। अतः वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का यदि अंतरण अन्यत्र कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी फरपाई अर्थ से किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में आवंटित हुई थी और तत्समय से निरन्तर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन होने से गैर खातेदार एवं खातेदार के रूप में दर्ज हुआ है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहा है। अतएव

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/9/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा